उत्तर प्रदेश शासन श्रम अनुभाग-2

संख्या- 6/2016/98/छत्तीस-2-2015-131/2010

लखनऊ, दिनांक: 17 फरवरी, 2016

<u>अधिसूचना</u>

30प्र0 भवन एवं अन्य सिन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 (अधिनियम संख्या 27 सन् 1996) के क्रम में 30प्र0 भवन एवं अन्य सिन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्त विनियमन) नियमावली, 2009 के नियम 10 के प्राविधानों के अंतर्गत अधिसूचना संख्या-1145/36-2-2013-131/10 दिनांक 09.11.2013 द्वारा 30प्र0 भवन एवं अन्य सिन्निर्माण कर्मकार राज्य परामर्शदात्री सिमित का गठन किया गया था एवं अधिसूचना संख्या-683/36-2-2014-131/10 दिनांक 09.07.2014 द्वारा 30प्र0 भवन एवं अन्य सिन्निर्माण कर्मकार राज्य परामर्शदात्री सिमित में श्री यासर शाह, मा0 सदस्य, विधान सभा के स्थान पर श्री हेमराज वर्मा, मा0 सदस्य, विधान सभा, ग्राम-पाह, पो0-पिपरिया अगरु, तहसील व जिला पीलीभीत को सदस्य नामित किया गया था।

2. अतः सम्यक विचारोपरान्त अधिसूचना संख्या-1145/36-2-2013-131/10 दिनांक 09.11.2013 एवं अधिसूचना संख्या-683/36-2-2014-131/10 दिनांक 09.07.2014 को आंशिक रूप से निम्नवत् संशोधन किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

1	श्री हेमराज वर्मा के मंत्री पद पर	श्री नवाबजान (सदस्य)
	पदासीन होने के उपरान्त उनके	मा० विधायक, ठाकुरद्वारा, मुरादाबाद
	स्थान पर	
2	नियम-10 प्रस्तर "छ" में	(1) (पुरूष सदस्य)
	बी0एम0एस0 एवं इण्टक द्वारा	श्री खलीक अहमद, पुत्र स्व0 मो0 जकरिया,
	नामित प्रतिनिधि के स्थान पर	मोहल्ला उत्तर दरवाजा, वार्ड नं0 08, रायबरेली।
	कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले	(2) (महिला सदस्य)
	दो सदस्य	श्रमती वन्दना प्रसाद पुत्री स्व0 कालिका प्रसाद
		फ्लैट नं0 13/7 बी, जी0सी0 एनक्लेब, 19-माल
	1191	एवन्यू, लखनऊ।
3	नियम-10 प्रस्तर "ज" के अनुसार	(1) (महिला सदस्य)
	नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने के	श्रीमती नीलम गुप्ता पत्नी श्री सुबोध गुप्ता,
	लिए राज्य सरकार द्वारा नामित दो	ए-7, आनन्दपुरम् कालोनी, शाहगंज, आगरा।
	सदस्य	(2) (पुरूष सदस्य)
		श्री मोहम्मद उस्मान आगाई पुत्र श्री मो0
		इकबाल खान 28/35 एच.कटरा धूमी सिंह,
		कश्मीरी बाजार, आगरा।

3. उक्त अधिसूचना इस सीमा तक संशोधित समझी जाए।

डा0 अनिता भटनागर जैन

प्रमुख सचिव।

संख्या- 6/2016/98(1)/छत्तीस-2-15-131/2010, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत् प्रेषित:-

- 1- श्रमायुक्त, उ0प्र0, कानप्र।
- 2- प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उ०प्र० शासन।
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

- 3- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, श्रम एवं सेवायोजन विभाग, उ०प्र0।
- 4- सचिव, 30प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड।
- 5- संबंधित सदस्यगण।
- 6- समस्त अनुभाग श्रम, उ०प्र० शासन।
- 7- संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामाग्री, ऐशबाग, लखनऊ को आज दिनांक फरवरी, 2016 की प्रति सिहत असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग-4 खण्ड-ख में प्रकाशनार्थ प्रेषित। कृपया अधिसूचना की 200 मुद्रित प्रतियाँ अनुभाग अधिकारी, श्रम अनुभाग-2, बापू भवन लखनऊ 30प्र0 शासन एवं 50 मुद्रित प्रतियाँ श्रमायुक्त, 30प्र0 कानपुर को तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 8- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

योगेश कुमार विशेष सचिव।

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।